समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)
आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः बी0–112–102(0001)/2011–55/आ0 दिनांकः 02.12.2011 के द्वारा शीर्ष 2015–निर्वाचन–102 निर्वाचन अधिकारी–0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना अन्तर्गत वेतन भत्ते मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन को निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुंगेर जिला को कॉलम 4, 7, 10 एवं 13 में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	वेतन 0101			जी0 या0 भत्ता 0103		
		पूर्व में आवंटित	वर्त्तमान में आंवटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्त्तमान में आंवटित	कुल आवंटित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	624060.00	32752.00	656812.00	329340.00	4258.00	333598.00
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	163350.00	30152.00	193502.00	83340.00	14931.00	98271.00
	योग =	**787410.00**	**62904.00**	**850314.00**	**412680.00**	**19189.00**	**431869.00**

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	मकान किराया भत्ता 0104			चिकित्सा भत्ता 0106			अभ्युक्ति
		पूर्व में आवंटित	वर्त्तमान में आंवटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्त्तमान में आंवटित	कुल आवंटित	
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	20865.00	0.00	20865.00	7200.00	0.00	7200.00	
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	16335.00	2927.00	19262.00	1800.00	423.00	2223.00	
	योग =	**37200.00**	**2927.00**	**40127.00**	**9000.00**	**423.00**	**9423.00**	

2. उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015–निर्वाचन–102 निर्वाचन अधिकारी– 0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना के वेतन मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– एन 2015001020001 है।
4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम–4–05/98/2561वि0(2) दिनांकः17.04.1998 एवं पत्रांक 3388 वि0(2) दिनांकः 18.04.2011 के आलोक में आवंटित है।
5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांकः 599/वि0(2) दिनांकः 07.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतन एवं उनके देय भत्ते को विषय शीर्ष– 01 01 से 01 07 तक में माना गया है। अगर किसी उपशीर्ष की किसी विषय शीर्ष/मद का प्रावधान नहीं कराया जा सका है, अथवा कम प्रावधान कराया गया है तो उक्त भत्ते के लिये बजट में प्रावधानित वेतन मद की राशि अथवा वेतन का ऐसा अन्य विषय शीर्ष जिसमें अधिक राशि का प्रावधान है, में से घटाते हुए वैसा विषय शीर्ष जहाँ राशि की आवश्यकता है, में राशि कर्णांकित की जानी है। निकासी एवं व्ययव पदाधिकारी द्वारा विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वेतन एवं उनके भत्तों के लिये अलग–अलग विषय शीर्ष में राशि को कर्णांकित करने के पश्चात् विपत्र में आवश्यक उल्लेख कर लिया जाये।
6.वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. इस राशि से विगत के वर्षों के किसी भी बकाया भुगतान (षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय किस्त को छोड़कर) का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।